"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 96] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मार्च 2006—चैत्र 7, शक 1928

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक 2233/2292/06/19/तक.—छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा 4 के साथ पठित भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 (क्रमांक 25 सन् 1932) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य में पुलों पर उद्ग्रहित की जाने वाली पथकर की निम्नलिखित दरें अधिरोपित करती हैं :—

स. क्र.	वाहनों का विवरण	दिनांक 1-4-2006 से 31-3-2009 तक उद्ग्रहित किये जाने वाले पथकर की दरें
(1)	(2)	(3)
1.	टेम्पो, टेक्सी, मिनीबस, मेटाडोर, भरा/खाली स्टेशन वेगन या उसके समकक्ष वाहन.	30.00
2.	प्रायवेट कार, जीप, पिकअप	16.00
3.	खाली ट्रक, बस भरी/खाली	50.00

(1)	(2)	(3)
4.	ट्रक लोडेड	65.00
5.	मल्टी एक्सल ट्रक ट्रेलर	80.00
6.	अर्थ मुव्हींग मशीनरीज (प्रति टन)	10.00

प्रत्येक तीन वर्ष के लिए पथकर की दरों में 25 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकेगी जिसके लिए पृथक आदेश जारी किया जा सकेगा.

ये दरें उन कार्यों को लागू नहीं होगी जिनका सन्निर्माण किया जा रहा है या सरकार की निर्मित तथा स्थानांतरित योजना के अधीन सन्निर्माण किया गया जिसके लिए पूर्व से ही करार निष्पादित किए गए हैं.

किसी मान से पथकर की दरें दिन में केवल एक बार ही उद्ग्रहित की जाएगी जैसे 6.00 ए.एम. से 6.00 ए. एम. तक उक्त समस्त दरें छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी.

Raipur, the 27th March 2006

NOTIFICATION

No. 2233 /2292/06/19/Tech.—In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Indian Tolls Act (Chhattisgarh Amendment) Act, 1932 read with Section 4 in its application to the State of Chhattisgarh of the Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), the State Government hereby impose the following rates of tolls to be levied on bridges in the State.

S. No.	Description of vehicles	Rate of tolls to be levied 1-4-2006 of 31-3-2009
(1)	(2)	(3)
1.	Tempo, Taxi, Minibus, Matador, loaded or empty station wagon or equivalent vehicle.	30.00
2.	Private Car, Jeep, Pickup	16.00
3.	Empty Truck, Loaded Bus and Empty Bus.	50.00
4.	Loaded Truck	65.00
5.	Multi Axle Tuck Trailer	80.00
6.	Earth Moving Machinery (per tone).	10.00

The rates of toll will be increased by 25% after every three years for which separate orders will be issued.

These rates shall not be applicable on those works which are being constructed or shall be constructed under Build Operate and Transfer Scheme of the Government, for which agreements have already been executed.

The toll rates will be levied only once in a day i.e. from 6.00 AM to 6.00 from any vehicle. The above all rate shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.